

मध्य प्रदेश शासन
वित्त विभाग
वल्लभ भवन-मंत्रालय, भोपाल

क्रमांक: एफ 4/2/2008/नियम/चार,
प्रति,

भोपाल, दिनांक 9 सितम्बर, 2008

(1) प्रमुख सचिव
मध्य प्रदेश शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
मंत्रालय, भोपाल

✓(11) प्रमुख सचिव,
मध्य प्रदेश शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय, भोपाल


विषय- पंचायतीराज-संस्थाओं तथा स्थानीय निकायों में नियोजित अध्यापक संवर्ग तथा पंचायत सचिवों को एकमुस्त 20 प्रतिशत वृद्धि का लाभ ।

-0-

मान. मुख्यमंत्रीजी द्वारा समन्वय में दिये गये आदेशानुसार पंचायतीराज-संस्थाओं तथा स्थानीय निकायों में नियोजित अध्यापक संवर्ग तथा पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के पंचायत सचिव जिन्हें वेतनमान दिया गया है, को दिनांक 1-9-2008 से एकमुस्त इनके मूल वेतन के 20 प्रतिशत के बराबर राशि स्वीकृत की जाना है ।

2/ मान. मुख्यमंत्रीजी के समन्वय में प्राप्त आदेश तथा संक्षेपिका की प्रति संलग्न प्रेषित है । कृपया तदनुसार आवश्यक आदेश शीघ्र जारी किये जावें ।


संलग्न- उपरोक्तानुसार ।


(अशोक दास)
प्रमुख सचिव

मध्यप्रदेश शासन, वित्त, विभाग
भोपाल, दिनांक सितम्बर, 2008

क्रमांक: एफ 4/2/2008/नियम/चार,
प्रतिलिपि,

प्रमुख सचिव, मध्य प्रदेश शासन, नगरीय प्रशासन विभाग की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।


(अशोक दास)
प्रमुख सचिव

मध्यप्रदेश शासन, वित्त, विभाग

D/Dhaga/56

लोक शिक्षण संचालनालय


मध्यप्रदेश

क्रमांक/बजट/संयु.संचा./2008/क्यू.1

भोपाल, दिनांक 19.09.08

प्रतिलिपि:-

1. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश
2. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, मध्यप्रदेश
की ओर प्रेषित कर लेख है कि उपर्युक्तानुसार आदेश का पालन सुनिश्चित करते हुए सितम्बर माह का वेतन जो अक्टूबर 2008 में देय है का भुगतान उपरोक्त आदेश अनुसार किया जाए ।


संयुक्त संचालक (वित्त)
लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश